प्रेस विज्ञप्ति (संख्या ...8.../2019)

तुरंत जारी करने हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई टैरिफ व्यवस्था में टी.वी. चैनल चुनने का आसान तरीका

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2019: ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं का नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 29 दिसंबर, 2018 से लागू किया जा चुका है, लेकिन फिर भी उपभोक्ताओं की सहूलियत को देखते हुए उन्हें अपने पसंदीदा टी.वी. चैनलों के चुनाव करने के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने 31 जनवरी, 2019 तक का समय दिया है।

प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं को नई व्यवस्था में ले जाने की प्रक्रिया को सुगम और सहज बनाने हेतु सेवा प्रदाताओं को प्रचार–प्रसार के सभी उपलब्ध माध्यमों यथा उनके कॉल सेंटर, वेबसाईट, वेव–पोर्टल, विज्ञापन, ई–मेल इत्यादि का प्रयोग कर अपने उपभोक्ताओं को यथाशीघ्र सूचित और आवश्यक कार्यवाई करने का निर्देश दिया है। नई व्यवस्था के तहत चैनल का चुनाव और कुल देखे जाने वाले चैनलों का खर्च पूर्णरूपेण उपभोक्ता के चैनल चयन पर निर्भर करेगा।

कोई भी उपभोक्ता निम्नलिखित तरीके से अपने पसंदीदा चैनलों का चुनाव सहजता से कर सकता है।

टी.वी. चैनल चुनने का आसान तरीका

- अपने टी.वी. को स्टार्ट करें और शुरूआत से सभी चैनलों को एक–एक कर देखें।
- जो चैनल आप नियमित रूप से देखना चाहते हैं उनका नंबर और नाम नोट करते जाएँ। आप पायेंगें कि बहुत सारे चैनल न तो आपने मांगे थे और न ही कभी देखे हैं, ऐसे चैनलों को अपनी सूची में शामिल नहीं करें।
- इस सूची को तुरंत सेवा प्रदाता की वेबसाईट, एप्प (App), कॉल सेंटर या केबल ऑपरेटर के द्वारा सेवा प्रदाता को आज ही भेजें।
- उपभोक्ता कोई भी चैनल कभी भी जोड़ सकता है। परंतु किसी भी चैनल को सब्सक्रिप्शन अवधि के अंत में अथवा महीना पूरा होने पर ही हटा सकता है। इसलिए सिर्फ उन्हीं चैनलों को चुनें जो उपभोक्ता या उनके परिवार वाले नियमित रूप से देखते हैं। भविष्य में

जब कभी भी उपभोक्ता को कोई चैनल जोड़ना, हटाना या पसंदीदा चैनलों की सूची को बदलना हो तो वे ऐसा सहजता से कर सकते हैं।

- टी.वी. सेवा प्रदाताओं द्वारा पे–चैनेलों का मूल्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाईड (ईपीजी) पर दिया जा रहा है। साथ ही नियमानुसार, पे–चैनलों तथा बुके के बारे में समेकित सूचना टी.वी. चैनल संख्या 999 पर भी दी जा रही है।
- नई विनियामक व्यवस्था में उपभोक्ता को टी.वी. चैनल चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। पुरानी व्यवस्था में उपभोक्ता पूरी तरह से सेवा प्रदाता की मन मर्जी पर निर्भर था।
- नई व्यवस्था में उपभोक्ता जो चाहेगा वही देखेगा और जिन चैनलों को देखेगा सिर्फ उसी का खर्च वहन करेगा।
- साथ–ही नई व्यवस्था में उपभोक्ता का मासिक बिल पूर्णरूपेण उसके नियंत्रण में रहेगा तथा भविष्य में उसके कम होने की संभावना है।
- उपभोक्ता द्वारा चुने गये चैनलों के लिए भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि की पुष्टि उपभोक्ता दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वेव–पोर्टल *channel.trai.gov.in* से भी कर सकते हैं।
- नये फ्रेमवर्क के लागू होने पर 1 फरवरी, 2019 के पहले चुने गये सारे बुके अस्तित्व विहीन हो जायेंगे। फलतः उपभोक्ताओं को नये सिरे से अपने पसंदीदा चैनलों का चुनाव करना पड़ेगा क्योंकि नये फ्रेमवर्क के मुताबिक कोई भी पुराना पैकेज सेवा प्रदाताओं के द्वारा नहीं दिया जा सकता है।
- अतः आपसे अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अपने पसंदीदा चैनल चुनकर अपने डीटीएच/एमएसओ/केबल ऑपरेटर को अविलंब सूचित करें।

किसी भी प्रकार के अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है:–

1. श्री अरविन्द कुमार, सलाहकार (बीएंडसीएस), फोन सं. 011–23664103
2. श्री अनिल भारद्वाज, सलाहकार (बीएंडसीएस), फोन सं. 011–23664410

5/12/2019

(एस.के. गुप्ता)
सचिव (भादूविप्रा)